



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274057
CG-DL-E-03072026-274057

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948

No. 497]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 555(अ).— केन्द्रीय सरकार, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (छ) के उप-खंड (i) के साथ पठित धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की अनुसूची क्रम संख्या 70 के साथ पठित धारा 2 के तहत उक्त अधिनियम की धारा 68 में किए गए संशोधनों के अनुसरण में, चंडीगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चंडीगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) संशोधन नियम, 2026 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चंडीगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 में, नियम 33 में, उप-नियम (1) में, सारणी में निम्नलिखित पंक्ति का लोप किया जाएगा, अर्थात्:—

“धारा 68 के अंतर्गत कारावास का दंडनीय	प्लॉट, अपार्टमेंट अथवा भवन जैसा भी मामला हो, की आकलित लागत का 10%”
---------------------------------------	--

[फा. सं. ओ-17024/72/2026-आवास-एमओएचयूए-भाग(2)/पी-9218776]

कुलदीप नारायण, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: चंडीगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1021(अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

G.S.R. 555(E).— In exercise of the powers conferred by section 84 read with sub-clause (i) of clause (g) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) and in pursuance of the amendment made to section 68 of the said Act under section 2 read with serial number 70 of the Schedule to the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Chandigarh Real Estate (Regulation and Development) (General) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Chandigarh Real Estate (Regulation and Development) (General) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Chandigarh Real Estate (Regulation and Development) (General) Rules, 2016, in rule 33, in sub-rule (1), in the Table, the following row shall be omitted, namely:-

“Punishable with imprisonment under section 68.	ten per cent. of the estimated cost of the plot, apartment or building, as the case may be.”
---	--

[F. No. O-17024/72/2026-HOUSING-MoHUA-Part(2)/P-9218776]

KULDIP NARAYAN, Jt. Secy.

Note: The Chandigarh Real Estate (Regulation and Development) (General) Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 1021(E), dated the 31st October, 2016.